

शपथ-पत्र

इस नीचे लिखा एवं जमाशुकर निम्ना क्रमशः अखिल एवं सचिव श्री गीरीशंकर एच.वी.राजल एण्ड सोशल इस्ट. 67, टिप्लोक नगर, हाहल व जिला फिरोजाबाद राज्यपूर्वक निम्नवत् बयान करते हैं :-

01. यह कि इनारे ट्रस्ट नाम की गीरीशंकर कॉलेज, कुतुबपुर घनौत, हाहल व जिला फिरोजाबाद नामक डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना सन् 2023-24 में किया जाना प्रस्तावित है।

02. यह कि इनारे ट्रस्ट के नाम धाम कुतुबपुर घनौत, फिरोजाबाद में सन् 2000, 2005, 2007, 2007/2, 212 कुल रकमा 1.0120 हेक्टेयर भूमि है।

03. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी काम किसी भी खासालत में नहीं मान रख है और भूमि विवाद रहित है।

04. यह कि उपरोक्त पत्र पर ट्रस्ट के नाम उपरोक्त भूमि के सन् 2000, 2005, 2007, 2007/2, 212 कुल रकमा 1.0120 हेक्टेयर पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव ट्रस्ट की बैठक दिनांक 06/01/2023 द्वारा अस्तित्व किया गया है।

05. यह कि उपरोक्त भूमि पर ही वर्तमान डिप्लोमा फार्मसी संस्थान के संचालन हेतु सभ्यता का नियोजन अनुमानित नक्शे के अनुसार किया गया है।

06. यह कि निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पत्र पर ट्रस्ट के नाम भूमि एवं कल पर निर्मित एवं निर्धारित नक्शे को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

07. यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अन्तर्गत ही डिप्लोमा फार्मसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।

NO. 11/2023
RECEIVED
OFFICE OF THE
DEPUTY COMMISSIONER



[Signature]
अध्यक्ष/सचिव

ATTESTED

[Signature]
अध्यक्ष

श्री गीरीशंकर एच.वी.राजल एण्ड सोशल इस्ट.
67, टिप्लोक नगर, हाहल व जिला फिरोजाबाद

DEPUTY COMMISSIONER

श्री गीरीशंकर एच.वी.राजल एण्ड सोशल इस्ट.
67, टिप्लोक नगर, हाहल व जिला फिरोजाबाद

(2)

08. यह कि इस संस्था में कार्मिकी कार्यालय ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली हाई अनुमोदित एवं प्राथमिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश समता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा ।

09. यह कि चररोक्त मुनि व इस पर निर्मित कानों में कार्मिकी कार्यालय ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राथमिक शिक्षा परिषद, उच्च सतानक से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य चरिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/मान्य कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आईटीआई आदि का सम्बन्ध न हो पूर्व में कमी किया गया है, और न ही भविष्य में कमी किया जायेगा ।

10. यह कि संस्थान के संभालन हेतु आवश्यक कक्षाएं कम, प्रयोगशालाओं एवं कारंशालाओं आदि को कार्मिकी कार्यालय ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राथमिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुरक्षित किया जायेगा ।

11. यह कि संस्था के संभालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक शटाफ की सेवाएँ दुरुत द्वारा उप बराम से हुई कर लिया जायेगा ।

12. यह कि शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का महीमांति पालन करीगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा । इस हेतु मेरे दान कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी ।

13. हम संभप्ता करते हैं कि हमारे द्वारा दी गयी संपत्तिका सूचना हमारी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है । यदि की कमी जानकारी एवं अभिलेखा/दस्तावेज कर्ती, दुरुधित कयावा बुदिपूर्ण पाये जाते हैं तो हमारे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी । ऐसी की नयी विधिक कार्यवाही हेतु हम स्वयं उत्तरदायी होंगे ।

NOTARY PUBLIC



शशि

ATTESTED

शशि

अध्यक्ष

शशि

NOTARY PUBLIC

शशि